

कार्यालय आदेश सं०:- 252/2021 पूर्व मध्य रेल

श्री अजय कुमार भगत, पुत्र अर्जून भगत, प्रसलोपा/बरौनी को वमंविइ(टीआरओ)/सोनपुर के एन आई पी सं०- वि/परिचालन/सतर्कता/RRB/MFP/दीर्घ/सोन/05/2020, दिनांक 19.05.2021 द्वारा फर्जी नियुक्ति के कारण इन्हें दोषी मानते हुए दिनांक 19.05.2021 से रेल सेवा से हटाये जाने/Remove from railway service की सजा परित होने के कारण दिनांक 19.05.2021 से रेल सेवा से हटाया जाता है। कर्मचारी का विवरण निम्नवत है:-

01. कर्मचारी का नाम	:	श्री अजय कुमार भगत
02. पिता का नाम	:	अर्जून भगत
03. पदनाम/स्टेशन	:	प्रसलोपा/बरौनी
04. जन्म तिथि	:	13.01.1988
05. नियुक्ति तिथि	:	04.11.15/19.03.16
06 पी.एफ.नं०-	:	27223008295
06. रेल सेवा से हटाये जाने की तिथि	:	19.05.2021

प्राधिकार:-वमंविइ(टीआरओ)/सोनपुर के एन आई पी सं०-वि/परिचालन/सतर्कता/RRB/MFP/दीर्घ/सोन/05/2020, दिनांक 19.05.2021

(विजय इंजीनियर)

सकाधि-III

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर

सं०:-का/पी.सी./अजय कुमार भगत/प्रसलोपा(डी)/वि०/बरौनी, दिनांक:-25.05.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. वमंविइ(टीआरओ)/पूमरे/सोनपुर।
02. वमविप्र/सोनपुर।
03. मु०कु० नि०/संयुक्त लॉबी/बरौनी/मुज०/सोन।
04. मुकार्याधी(बिल)/बरौनी/सोनपुर - उक्त के अनुसार देयता/कटौती सुनिश्चित करे।
05. संबंधित कर्मचारी।
06. अभिलेख/कार्यालय आदेश प्रति।
07. मंडल मंत्री ई०सी०आर०के०यू०, ओबीसी/अजा-अजजा, एशो०/सोनपुर मंडल।
08. वीट निरीक्षक/सोन./मुज०/बरौनी।

19/5/21  
कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर